

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-30/2025

कनीय अभियंता (विद्युत) के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

- बिहार सरकार के विभिन्न कार्य विभागों के अन्तर्गत कनीय अभियंता (विद्युत) के कुल-86 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से प्राप्त अध्याचनाओं के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों (जो भारत के नागरिक हों) से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर दिनांक-12.12.2025 से 12.01.2026 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अध्याची विभागों से प्राप्त कनीय अभियंता (विद्युत) के पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:-

पदनाम	वेतनमान	अर्हता
कनीय अभियंता (विद्युत)	PB-2, 9300-34,800/- ग्रेड ० पे ०-4600/- वेतन स्तर- 7	(i) अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। (ii) विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना आवश्यक है। (iii) तकनीकी योग्यता/अर्हता:- (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा Non-Distance Mode (Regular Course) में निर्गत विद्युत अभियंत्रण (Electrical Engineering) में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता (प्रासंगिक विषय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा निर्गत Approval Process Hand Book के अनुसूची शीर्षक "Major Disciplines, their corresponding Courses and Relevant/Appropriate Branch of Diploma in Engineering and Technology" के अन्तर्गत डिप्लोमा के समकक्ष घोषित पाठ्यक्रम) के डिप्लोमाधारी। अथवा (ख) UGC Act के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित University अथवा Deemed University द्वारा Non-Distance Mode (Regular Course) में निर्गत विद्युत अभियंत्रण (Electrical Engineering) में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता में University अथवा Deemed University द्वारा Non-Distance Mode में प्रदत्त डिप्लोमा।

नोट:- अर्हक परीक्षा के प्रमाण-पत्र की समकक्षता के संदर्भ में संशय की स्थिति में विभाग/आयोग द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार से परामर्श प्राप्त कर निर्णय लिया जायेगा।

क्र० सं०	विभाग का नाम	पदों की कोटिवार विवरणी										
		अनारक्षित (UR)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	पिछड़ा वर्ग (BC)	पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)	कुल	दिव्यांग (बिहार राज्य के मूलवासी हेतु)	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/ नाती/ नतीनी के लिए (बिहार राज्य के मूलवासी हेतु)	
		बिहार राज्य के मूलवासी महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण सहित										
01	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना	कुल	20	05	08	01	09	06	01	50	VH-01 HH-01 OH-00 MH-00	01
			07	02	03	00	03	02	00	17		

01	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना	60% (Open)	12	03	05	01	05	04	01	31	VH-01 HH-01 OH-00 MH-00	01	
			04	01	02	00	02	01	00	10			
		40% (Bihar)	08	02	03	00	04	02	00	19	VH-00 HH-00 OH-00 MH-00	00	
			03	01	01	00	01	01	00	07			
02	भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	कुल	09+*01	03	07	00	04	12	00	36	VH-00 HH-01 OH-01 MH-00+*01	01	
			03	01	01	00	01	01	00	07			
		60% (Open)	05+*01	2	4	00	02	07	00	21	VH-00 HH-01 OH-01 MH-00+*01	01	
			02	01	01	00	01	01	00	06			
		40% (Bihar)	04+*00	01	03	00	02	05	00	15	VH-00 HH-00 OH-00 MH-00+*00	00	
			01	00	00	00	00	00	00	01			
		कुल योग :-	कुल	30	08	15	01	13	18	01	86	VH-01 HH-02 OH-01 MH-01	02
				10	03	04	00	04	03	00	24		
60% (Open)	18		05	09	01	07	11	01	53	VH-01 HH-01 OH-01 MH-01	01		
	06		02	03	00	03	02	00	16				
40% (Bihar)	12	03	06	00	06	07	00	24	VH-00 HH-01 OH-00 MH-00	01			
	04	01	01	00	01	01	00	08					

नोट:-(i) दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:-VH-दृष्टि दिव्यांग, HH-मूक बधिर दिव्यांग, OH-चलन दिव्यांग, MH-मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग।

नोट:-(ii) (क) 40%(Bihar) से अभिप्रेत है- दर्शाये गये रिक्तियों की संख्या बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित विज्ञापन की कंडिका-1(iii) में वर्णित संस्थानों से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेगा।

(ख) 60% (Open) से अभिप्रेत है- दर्शाये गये रिक्तियों की संख्या पर चयन हेतु विज्ञापन की कंडिका-1(iii) में वर्णित सभी संस्थानों से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी योग्य पात्र होंगे।

नोट:-(iii) लिखित परीक्षा के पूर्व अध्याची एवं अन्य विभागों से सदृश पद पर चयन हेतु अध्याचना प्राप्त होने पर सभी अध्याचित रिक्तियाँ प्रस्तुत विज्ञापन में शामिल किया जा सकता है तथा अध्याचना में संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

नोट:-(iv) *गत विज्ञापन सं०-01/2019 के अन्तर्गत कनीय अभियंता (विद्युत) के पद पर चयन के क्रम में कर्णांकित रखे गये दिव्यांग कोटि के कुल-01 पद (मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग(MH)-01) हैं, जिन्हें अनारक्षित कोटि में अनुमान्य किया गया है।

2. आयु सीमा:-(i) 01.08.2025 को न्यूनतम आयु:-18 वर्ष।

अधिकतम उम्र सीमा:-

(a) अनारक्षित:-37 वर्ष

(b) अनारक्षित महिला:-40 वर्ष

(c) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला):-40 वर्ष

(d) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला):-42 वर्ष

आयोग द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण-पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-13107, दिनांक-20.09.2019 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक)

जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य हैं।

- (iv) कनीय अभियंता (विद्युत) अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गयी अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी। अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्यावधि मान्य होगा, तथा बिहार राज्य में अवस्थित केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय के कार्यालय में कनीय अभियंता (विद्युत) अथवा समान पद पर किया गया कार्यावधि भी मान्य होगा। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा।
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-212, दिनांक-23.01.2006 के प्रावधान के आलोक में परीक्षा के आयोजन में विलम्ब की अवधि के लिए भी एक बार अधिकतम उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी। अंतिम नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में उम्र सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि 01.08.2018 निर्धारित था। अतः वैसे उम्मीदवार जो दिनांक-01.08.2018 से 01.08.2025 तक अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे और अद्यतन अन्य अर्हतायें पूरी करते हैं, वे भी योग्य पात्र होंगे।
- (vi) नियमावली के कंडिका-8(2) के आलोक में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक प्रावधानों के तहत अधिकतम आयु सीमा में छूट की अर्हता रखता हो, तब उसे सभी छूटों के योगफल के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी।

नोट:- जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जा सकेगा।

3. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
 - (a) जाति प्रमाण-पत्र
 - (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
 - (a) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
 - (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
 - (a) आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र
 - (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य होगा।

- नोट:-**(i) केवल जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु) पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
 - (iii) आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

आरक्षित कोटि

क्र० सं०	आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (SC)
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
6.	पिछड़े वर्गों की महिला (WBC)

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव पंजीकरण के उपरांत नहीं किया जा सकेगा। दावा किये गये कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(v)(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त संकल्प के Appendix-1 में संलग्न विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा, जिसे upload किया जाना एवं Online आवेदन के विहित कॉलम में दिव्यांगता का दावा करना आवश्यक होगा। अन्यथा दिव्यांगता (निःशक्तता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के दिव्यांगता की जाँच आयोग स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड गठित कर पुनः किया जायेगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8962, दिनांक-21.05.2025 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जायेगा।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा अनुमान्य करायी जा सकेगी। जिस अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)

(vii) (क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के 2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं०-12575, दिनांक-09.07.2025 के आलोक में महिलाओं के लिए अनुमान्य कोटिवार 35% क्षैतिज आरक्षण मात्र बिहार के स्थाई निवासी को ही अनुमान्य होगा।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षित कोटि/निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती, नाती-नतिनी/कार्यानुभव का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।
- (x) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12722, दिनांक-12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्डजेंडर) को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

4. आवेदन शुल्क:-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-15568, दिनांक-21.08.2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100/- (एक सौ रुपये) परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है।

ऑनलाईन भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग/UPI के माध्यम से Online Mode से ही जमा किया जायेगा एवं रसीद की प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जायेगा। **(Note:- Payment of fee shall be accepted through online mode only.)**

5. फोटो पहचान पत्र (Photo ID):-

उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन भरते समय अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या (Aadhar No.) अंकित करना आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि की संख्या अंकित कर सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट किये गये फोटो पहचान पत्र को परीक्षा/काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

6. चयन की प्रक्रिया:-

- (i) कनीय अभियंता (विद्युत) के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना के उपरांत चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी:-

a.	लिखित परीक्षा (Computer Based Test) में प्राप्त अंकों की अधिमानता	75 अंक
b.	कनीय अभियंता (विद्युत) अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 05 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त आनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)।	25 अंक
कुल:-		100 अंक

नोट:- जल संसाधन विभाग की अधिसूचना सह ज्ञापांक-1174, दिनांक-07.03.2023 के माध्यम से निर्गत नियमावली की कंडिका-9(4)(क) में विहित प्रावधान के आलोक में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता की गणना परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा।

- (ii) संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (विद्युत) अथवा समान पद पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय के कार्यालय में किये गये कार्य अनुभव मान्य होगा, तथा, संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य में अवस्थित केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्य अनुभव भी मान्य होगा।

- (iii) संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (विद्युत) अथवा समान पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में विज्ञापन की कंडिका-6(i)(b) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जायेगी।
 - (iv) संविदा के आधार पर कार्यावधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-I में संलग्न प्रारूप में) के आधार पर किया जायेगा। कार्यानुभव के अवधि की गणना दिनांक-12.12.2025 तक की जायेगी।
7. उक्त के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन निम्न रूप से किया जायेगा:-
- (i) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा - लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे।

परीक्षा की संरचना:-

- (a) प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सभी प्रश्न कार्यक्षेत्र विषय के होंगे। प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।
- (b) कार्यक्षेत्र ज्ञान (100 प्रश्न) के अन्तर्गत प्रश्न, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली (AICTE) द्वारा Diploma in Electrical Engineering के 03 (तीन) वर्षीय Diploma हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम (Curriculum) के अनुसार पुछे जायेंगे।
- (c) उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में Computer Based Test के माध्यम से आयोजित कराया जा सकता है एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम मानकीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा।
- (d) परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) लागू किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 01 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु (0.25) काटा जाएगा।
- (e) उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की मानकीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा-फल घोषित किया जाएगा।
- (f) मानकीकरण (Normalization) के पश्चात् प्राप्त अंक को कंडिका-6(i) के अनुरूप मेधासूची तैयार करने हेतु उपयोग किया जाएगा।
- (g) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा नि:शक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

नोट:- लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को संगत आरक्षण कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अनुत्तीर्ण घोषित किये जाएँगे एवं अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

- (ii) कार्यानुभव के अंक की अधिमानता हेतु अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन के विहित कॉलम में कार्यानुभव का दावा किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थी दिनांक- 12.12.2025 तक संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र (संलग्न परिशिष्ट-I में) का साक्ष्य ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र में वर्णित कार्यावधि के आधार पर ही संबंधित अभ्यर्थी को कार्यानुभव का अंक देय होगा।
- (iii) वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र हेतु परिशिष्ट-I में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है। इस प्रारूप में ही वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं कार्यानुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर उक्त अंको एवं आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।
- (iv) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के उपरांत विज्ञापन की कंडिका-6 में विहित प्रावधान के अनुरूप अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटिवार मेधासूची तैयार कर मेधाक्रमानुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

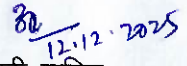
- (v) विभाग आवंटन हेतु अधिमानता का चुनाव:-
काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी, विभाग आवंटन हेतु अधिमानता क्रम का चुनाव स्पष्ट रूप से करेंगे। जिस विभाग के लिए अभ्यर्थी द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जायेगी, उस विभाग के लिए बाद में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही काउंसलिंग के समय दिये गये अधिमानता क्रम में सुधार हेतु किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- (vi) काउंसलिंग के उपरान्त रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का चयन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7795, दिनांक-24.04.2023 जो परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है, में निहित परामर्श के आलोक में निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:-
(क) विज्ञापन की कंडिका-1(iii) में यथाप्रावधानित बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण विद्युत डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए कुल रिक्त पदों का 40% पद आरक्षित रहेगा, जिन्हें कोटिवार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधासूची के आधार पर भरा जायेगा।
(ख) किसी परिस्थिति में 40% रिक्तियों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियाँ 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त संबंधित कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेंगी।
- (vii) आयोग द्वारा मेधाक्रमानुसार, अभ्यर्थियों द्वारा भरी गयी विभाग आवंटन की अधिमानता एवं रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर आरक्षण कोटिवार विभाग आवंटन कर विभागवार अनुशंसा प्रेषित की जायेगी।
8. महत्वपूर्ण निर्देश:-ऑनलाइन आवेदन-पत्र में योग्यता/आरक्षण/कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र/अंक पत्र, यथा-
- (i) Matriculation का मूल प्रमाण-पत्र
 - (ii) इण्टरमीडिएट (10+2) का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र/औपबंधिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate)
 - (iii) मान्यता प्राप्त संस्थान से Diploma in Electrical Engineering/समकक्ष योग्यता के सभी वर्षों का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र या औपबंधिक (Provisional) प्रमाण-पत्र
 - (iv) जाति प्रमाण-पत्र/क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र
 - (v) स्थायी निवास/आवासीय प्रमाण-पत्र
 - (vi) बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण-पत्र
 - (vii) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
 - (viii) कार्यानुभव प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-I में)
- से संबंधित सूचना की प्रविष्टि कर उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र विहित Column में Upload करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र Upload नहीं किये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र वही मान्य होंगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण-पत्रों/अंक पत्र का संख्या एवं निर्गत तिथि का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया जाना एवं विहित Column में Upload किया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र दिनांक-12.01.2026 तक का निर्गत होना अनिवार्य है।
9. विज्ञापन की कंडिका-7(ii) के अंतर्गत कार्यानुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-I में संलग्न प्रारूप में) निर्गत करने के लिए संबंधित विभाग/कार्यालय के नियंत्री पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे।
10. विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण-पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र का स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
11. वैसे प्रमाण-पत्र/अंक पत्र जिसका उल्लेख/Upload Online Form में नहीं किया गया होगा, को आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं उक्त के आधार पर अर्हता/आरक्षण/कार्यानुभव के अधिमानता से वंचित रहने हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा उक्त

के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में केवल वही प्रमाण-पत्र/अंक पत्र का मूल से मिलान कर सत्यापन किया जायेगा, जो अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन में Upload किया गया है। अन्य कोई भी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन में Upload किये गये सभी प्रमाण-पत्रों/अंक पत्रों को आयोग के Website से Download कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों को निदेश है कि Online आवेदन में सुस्पष्ट एवं Clear दस्तावेज जो सही तरह से Scanner के माध्यम से Scan किया गया हो, को Upload करेंगे। धुंधला/अस्पष्ट/काला/अपठनीय दस्तावेज/प्रमाण-पत्र Upload होने पर दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय भी अभ्यर्थित्व समाप्त करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

12. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र, आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
13. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.btsb.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहेंगे। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने, S.M.S अथवा E-mail के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की बाध्यता नहीं होगी।
14. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किये जायेंगे।
15. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। ऑनलाईन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा।
16. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु किसी भी दावे पर आयोग का निर्णय मान्य होगा।
17. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-
 - (i) ऑनलाईन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी रसीद की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेंगे।
 - (ii) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा-निर्देश का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
 - (iii) अभ्यर्थी, अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करेंगे।
 - (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे चयन सूची के अंतिम प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपना ही कार्यरत Mobile Number एवं E-mail Id अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का Mobile Number एवं E-mail Id अंकित नहीं करेंगे।

- (v) मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑनलाईन शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (vii) फोटोग्राफ:—(क) आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए। (तीन माह के अंदर का)
(ख) आवेदक/अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए।
(ग) बैकग्राउण्ड में सफेद पटल होना चाहिए। फोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवायेंगे।
(घ) कडिका-17(vii)(क)(ख)(ग) में वर्णित निर्देशों के अनुरूप फोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- (viii) अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा माँगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।
- (x) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अधियाची विभागों/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।
- नोट:—1. अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।


12.12.2025
प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

परिशिष्ट-I

संस्थान/कार्यालय का नाम:-.....

वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र

ज्ञापांक:-.....

दिनांक:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

पिता पता

की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना/कार्यालय आदेश सं०-.....

दिनांक-..... द्वारा संविदा के आधार पर

(पदनाम) के पद पर नियुक्ति के पश्चात्

..... (कार्यालय का नाम) में.....

(पदनाम) के रूप में पदस्थापित एवं कार्यरत हैं/थे।

इनके वेतन भुगतान की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कब से (तिथि)	कब तक (तिथि)	कुल अवधि	मासिक वेतन/मानदेय	कुल भुगतेय राशि	अभ्युक्ति
1						
2						
3						
कुल अवधि:-						

कार्यालय मुहर

(हस्ताक्षर)

निर्गत करने वाले नियंत्री

पदाधिकारी का पूरा नाम:-.....

पदनाम:-.....

प्रशासी विभाग का नाम:-.....

नोट:- (i) कार्यरत होने परन्तु किसी कारण से संबंधित अवधि का वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में कार्यरत अवधि का उल्लेख करते हुए भुगतान नहीं होने की विवरणी कारण सहित अभ्युक्ति Column में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दर्ज की जायेगी।

नोट:- (ii) अभ्यर्थी के कार्यावधि का विनिश्चय वेतन भुगतान की अवधि के आधार पर किया जायेगा।

पत्र संख्या-11/आ0 नी0-1-01/2023 सा0प्र0.....

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 सिराजुद्दीन अंसारी
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
पटना।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :- बिहार अवर अभियंत्रण संवर्ग नियमावली, अधिसूचना संख्या-1174
दिनांक-07.03.2023 की कंडिका-9(7)(क) पर परामर्श संबंधी।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्रांक-811 दिनांक-23.02.2023 के संदर्भ में कहना है कि बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियमावली, 2003 की कंडिका-9(7)(क) में निम्न प्रावधान है :-

"बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित नियम-8(1)(iii) में प्रावधानित संस्थानों से उत्तीर्ण असैनिक/यांत्रिक/विद्युत डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए कुल रिक्त पदों का 40 प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा, जिन्हें आरक्षण कोटिवार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जायेगा।"

उपर्युक्त के अनुपालन में चयन संबंधी क्रमवार प्रक्रिया निम्नांकित रूप से संसूचित की जाती है-

(1) सर्वप्रथम अहर्ता प्राप्त (qualified) उमीदवारों की एक सूची (Mother panel) तैयार की जायेगी, जो गैर आरक्षित/आरक्षित कोटि, बिहार में स्थित संस्थान अथवा बिहार से बाहर स्थित संस्थान आदि का ध्यान रखे बिना मात्र गुणागुण (मेरिट) पर आधारित होगी।

(2)(क) गैर आरक्षित 60%- खुली गुणागुण कोटि (Open Merit category) के तहत अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा, जिसमें आरक्षित और गैर आरक्षित, बिहार में स्थित संस्थान एवं बिहार से बाहर स्थित संस्थान सभी के अभ्यर्थी मात्र गुणागुण (मेरिट) के आधार पर चयनित होंगे। इसी स्तर पर महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अभ्यर्थी भी चयनित होंगे।

(ख) गैर आरक्षित 40%- खुली गुणागुण कोटि (Open Merit category) के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा, जिसमें आरक्षित/गैर आरक्षित एवं मात्र बिहार में स्थित संस्थान के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इसी स्तर पर महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अभ्यर्थी भी चयनित होंगे।

(3)(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 60%- राज्याधीन अवस्थित एवं राज्य से बाहर अवस्थित संस्थान के अभ्यर्थी, परन्तु बिहार निवासी अभ्यर्थी चयनित होंगे।

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 40%- मात्र राज्याधीन अवस्थित संस्थान एवं बिहार निवासी अभ्यर्थी चयनित होंगे।

नोट:- सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019 की कंडिका-7 के आलोक में न भरी जा सकी रिक्तियाँ (Unfilled Vacancies) उसी समव्यवहार में Merit के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(4)(क) अनुसूचित जाति 60%- राज्याधीन अवस्थित एवं राज्य से बाहर अवस्थित संस्थान के अभ्यर्थी, परन्तु बिहार निवासी अभ्यर्थी चयनित होंगे।

(ख) अनुसूचित जाति 40%- मात्र राज्याधीन अवस्थित संस्थान एवं बिहार निवासी अभ्यर्थी चयनित होंगे।

(5)(क) अनुसूचित जनजाति 60%- राज्याधीन अवस्थित एवं राज्य से बाहर अवस्थित संस्थान के अभ्यर्थी, परन्तु बिहार निवासी अभ्यर्थी चयनित होंगे।

(ख) अनुसूचित जनजाति 40%- मात्र राज्याधीन अवस्थित संस्थान एवं बिहार निवासी अभ्यर्थी चयनित होंगे।

(6)(क) अत्यंत पिछड़ा वर्ग 60%- राज्याधीन अवस्थित एवं राज्य से बाहर अवस्थित संस्थान के अभ्यर्थी, परन्तु बिहार निवासी अभ्यर्थी चयनित होंगे।

(ख) अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40%- मात्र राज्याधीन अवस्थित संस्थान एवं बिहार निवासी अभ्यर्थी चयनित होंगे।

(7)(क) पिछड़ा वर्ग 60%- राज्याधीन अवस्थित एवं राज्य से बाहर अवस्थित संस्थान के अभ्यर्थी, परन्तु बिहार निवासी अभ्यर्थी चयनित होंगे।

(ख) पिछड़ा वर्ग 40%- मात्र राज्याधीन अवस्थित संस्थान एवं बिहार निवासी अभ्यर्थी चयनित होंगे।

(8)(क) पिछड़े वर्गों की महिला (W.B.C.) 60%- राज्याधीन अवस्थित एवं राज्य से बाहर अवस्थित संस्थान के अभ्यर्थी, परन्तु बिहार निवासी अभ्यर्थी चयनित होंगी।

(ख) पिछड़े वर्गों की महिला (W.B.C.) 40%- मात्र राज्याधीन अवस्थित संस्थान एवं बिहार निवासी अभ्यर्थी चयनित होंगी।

(9) अभ्यर्थियों के चयन के क्रम में बिहार अधिनियम-3/1992 समय-समय पर संशोधित अधिनियम (बिहार अधिनियम-2/2019 सहित), बिहार अधिनियम-15/2003, परिपत्र संख्या-70 दिनांक-11.06.1996, संकल्प संख्या-2374 दिनांक-16.07.2007, संकल्प संख्या-12722 दिनांक-12.09.2014 (ट्रांसजेन्डर संबंधी), परिपत्र संख्या-2342 दिनांक-15.02.2016, परिपत्र संख्या-11364 दिनांक-04.09.2017, परिपत्र संख्या-2526 दिनांक-18.02.2016 एवं परिपत्र संख्या-11272 दिनांक-27.11.2020, संकल्प संख्या-962 दिनांक-22.01.2021, अधिसूचना संख्या-2622 दिनांक-26.02.2019 एवं अन्य प्रचलित परिपत्रों/आदेशों/अधिनियमों आदि का ध्यान अवश्य रखा जायेगा।

(10) किसी भी बिन्दु पर अस्पष्टता होने अथवा पृच्छा की स्थिति में राज्याधीन प्रचलित मूल नियम/अधिनियम ही प्रभावी माने जायेंगे।

(11) चयनित अभ्यर्थियों का विभाग आवंटन संबंधी कार्य बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा अपने स्तर से Option cum Merit के आधार पर किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

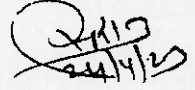
(मो0 सिराजुद्दीन अंसारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-11/आ0 नी0-1-01/2023 सा0प्र0 7795 पटना-15, दिनांक-24.4.23

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी अनुशंसी आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निगम/निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।